

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

"सहित मखन" 14-अशोक मार्ग

लखनऊ

संख्या : 1598 पी/रा.वि.पं-4 पी/1986, दिनांक : अगस्त 21, 1989

समस्त मुख्य अभियन्ता,
समस्त महाप्रबंधक,
समस्त मुख्य परियोजना प्रबंधक,
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग,
उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद्।

विषय :- समयबद्ध वेतनमानों की अनुमन्यता हेतु प्रक्रिया एवं माप दण्डों का निर्धारण।

महोदय,

परिषदीय सेवकों को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत किये जाने विषयक पारिवर्तित परिषद्द्वारा

संख्या : 459-पा / रा. वि. पं-4 पी / 86, दि. 25.2.89

संख्या : 954-पा / रा. वि. पं-4 पी / 86, दि. 19.6.89

संख्या : 915-पा / रा. वि. पं-4 पी / 86, दि. 19.6.89

के अनुक्रम में मुझे यह सू
करने का निदेश हुआ है
परिषदीय अधिकारियों
कर्मचारियों को सम

वेतनमान स्वीकृत करने की प्रक्रिया एवं मापदण्ड निम्नवत् होंगे :-

- (1) समयबद्ध वेतनमानों की स्वीकृति हेतु देय तिथि तक के ही सेवा-अभिलेख देख कर
लिये जायेंगे।
- (2) प्रथम समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता हेतु विगत पाँच प्रविष्टियों में से तीन तथा
समयबद्ध वेतनमान के लिये विगत पाँच में से चार प्रविष्टियाँ संतोषजनक होंगी, जो
इनमें से अन्तिम का संतोषजनक होना अनिवार्य है।
- (3) उक्तानुसार यदि अन्तिम प्रविष्टि ठीक नहीं है तो सम्बन्धित अधिकारी/अधिकारिक को
प्रविष्टि अर्जित करने तक समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जायगा। यदि
प्रविष्टि संतोषजनक पाई जाती है तो वेतन तिथि से समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत
दिया जायगा।

(5) उन विषयों में जहाँ अंतिम दो प्रविष्टियाँ संतोषजनक नहीं हैं, सम्बन्धित सेवक को अगली प्रविष्टि अर्जित करने तक समयमान नहीं स्वीकृत किया जायगा। किन्तु, यदि अगली प्रविष्टि संतोषजनक पाई जाती है तो समयबद्ध वेतनमान देय तिथि से एक वर्ष बाद की बड़ी हुई तिथि से दिया जायगा।

(5) तृतीय समयबद्ध वेतनमान के लिये चिन्तित पाँच प्रविष्टियों में सभी का संतोषजनक होना अनिवार्य होगा।

(6) (क) यदि प्रथम समयबद्ध वेतनमान की देय तिथि को उससे पूर्व के पाँच वर्षों की प्रविष्टियों में से तीन प्रविष्टियाँ (अंतिम वर्ष की प्रविष्टि को सम्मिलित करते हुए) संतोषजनक नहीं हैं तो प्रथम समयबद्ध वेतनमान उस अगली तिथि से अनुमन्य होगा जबकि पूर्व के पाँच वर्षों में से कुल मिलाकर तीन वर्षों की संतोषजनक प्रविष्टियाँ अर्जित कर ली जायें, परन्तु इसका संचयी प्रभाव नहीं होगा।

(ख) यदि द्वितीय समयबद्ध वेतनमान की देय तिथि को उससे पूर्व के पाँच वर्षों की प्रविष्टियों में से चार प्रविष्टियाँ (अंतिम वर्ष की प्रविष्टि को सम्मिलित करते हुए) संतोषजनक नहीं हैं तो द्वितीय समयबद्ध वेतनमान देय तिथि के बाद उस तिथि से अनुमन्य होगा जबकि पूर्व के पाँच वर्षों में से कुल मिलाकर चार वर्षों की संतोषजनक प्रविष्टियाँ अर्जित कर ली जायें, परन्तु इसका संचयी प्रभाव नहीं होगा।

(ग) यदि तृतीय समयबद्ध वेतनमान की देय तिथि को उससे पूर्व के पाँच वर्षों की प्रविष्टियों में से दो प्रविष्टियाँ संतोषजनक नहीं हैं तो तृतीय समयबद्ध वेतनमान देय तिथि के बाद उस तिथि से अनुमन्य होगा जबकि पूर्व पाँच वर्षों में से कुल मिलाकर पाँच वर्षों की संतोषजनक प्रविष्टियाँ अर्जित कर ली जायें। इस स्थगन का संचयी प्रभाव होगा। अर्थात् तृतीय समयबद्ध वेतनमान में वेतन उसके अनुमन्य किये जाने की तिथि को नीचे वाले वेतनमान में अनुमन्य वेतन के आधार पर निर्धारित किया जायगा।

(7) उन विषयों में जहाँ किसी सेवक को देय तिथि से पूर्व के पाँच वर्षों में से किसी एक वर्ष अथवा अधिक वर्षों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं है, वहाँ समयमान उस समय तक नहीं स्वीकृत किया जाय जब तक वह सत्यनिष्ठा प्रमाणक रोके जाने वाले वर्ष से अगली तीन लगातार संतोषजनक प्रविष्टियाँ उक्त प्रमाणक के सहित अर्जित नहीं करता है। इस स्थिति में स्थगन का संचयी प्रभाव होगा।

(8) यथा परिपदाज्ञा संख्या 523 पी/रा० वि० प०-117 पी/87, दिनांक 25 अप्रैल, 1987 (प्रति संलग्न) में निर्दिष्ट, मात्र सर्वकता जाँच, अथवा विभागीय कार्यवाही लम्बित रहने के आधार पर समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के विषयों में न तो बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाई जायगी और न उक्त आधार पर सेवकों के देय रोके जायेंगे। तथापि यह प्रक्रिया उन विषयों में यथावत अपनाई जाती रहेगी जिनमें सम्बन्धित सेवक गिरफ्तार हो, उन्हींके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही चल रही हो, सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं हो, ट्रैप में गिरफ्तारी हुई हो अथवा आर्थिक शक्ति/प्रत्याप्ति (रिकवरी) किये जाने की स्थिति हो।

(क) यदि उस सेवाकाल, जिसकी प्रविष्टियों को समयबद्ध वेतनमान की अनुमयता हेतु विचारित किया जाना है, के मध्य वेतनवृद्धि रोके जाने का दंड दिया जाता है तो ऐसे विषयों में उतने वर्षों की प्रविष्टियाँ प्रतिकूल मानी जायेंगी जितनी कि वेतन वृद्धियाँ रोकी गई हों, भले ही प्रश्नगत सेवाकाल में वास्तविक अर्जित की गई प्रविष्टियाँ संतोषजनक हों।

(ख) जिन विषयों में निलम्बन की अवधि को ड्यूटी नहीं माना गया हो, ऐसे मामलों में समयबद्ध वेतनमान की देय तिथि भी उक्त निलम्बन काल के समतुल्य अवधि तक बढ़ा दी जायगी।

(10) यथा पूर्व परिषदाज्ञाओं में निविष्ट समयबद्ध वेतनमानों की स्वीकृति निर्धारित चयन प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त ही नियुक्ति अधिकारी द्वारा दी जायगी।

समयबद्ध वेतनमानों की स्वीकृति हेतु उपयुक्त अधिकारियों एवं सेवकों के चयन निमित्त चयन समितियाँ गिनायेंगी :-

(1) सभी संवर्गों के अधिकारियों के लिए :-

(क) तृतीय समयबद्ध वेतनमान हेतु

- (1) विद्युत सम्पूति अधिनियम की धारा 5(4)(बी) के अधीन नियुक्त परिषद के सदस्य अथवा वरिष्ठतम अभियन्तण सदस्य,
- (2) सदस्य (वित्त एवं लेखा) तथा
- (3) सचिव

(ख) प्रथम एवं द्वितीय समयबद्ध वेतनमानों हेतु

- (1) सदस्य-वितरण,
- (2) सचिव, तथा
- (3) परिषद के वरिष्ठतम अपर सचिव (1) और (2) में से।

(2) अन्य अभियन्ताओं के लिए :-

तृतीय समयबद्ध वेतनमान हेतु

- (1) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)
- (2) परिषद द्वारा मनोनीत एक मु०अ० (स्तर-2)
- (3) अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) मु०अ० कार्यालय

प्रथम एवं द्वितीय समयबद्ध वेतनमानों हेतु

- (1) मुख्य अभियन्ता

(2) विशुद्ध सेवा आयोग के एक सदस्य

(3) अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) मुंबई ००

(3) अराजकपत्रित सेवकों के लिए

इन सेवकों के लिए उचित स्तर की चयन समितियाँ नियुक्ति प्राधिकार
गठित की जाएंगी।

3- अनुबंध है कि उपरोक्त प्रक्रिया एवं मापदण्डों का नौटिक अनुपालन सुनिश्चित कर। एतदर्थ सम
विभागों में आवश्यक संशोधन अलग से किये जा रहे हैं।

भवदीय,

एस० के० अग्रवाल
अपर-सचिव

संख्या : - ५१(१)/रा०वि०प०-सी०-५५०/८६

प्रतिलिपि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित :-

1. नियंत्रक (लेखा), उ०प्र०रा०वि०प०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०रा०वि०प०, शक्ति भवन बिस्तार, लखनऊ।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, रा०वि०प०।
4. समस्त अधीक्षायी अभियन्ता, उ०प्र०रा०वि०प०।
5. परिषद् सचिवालय के समस्त अनुभाग/अधिकारी, निजी सचिव।
6. समस्त क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र०रा०वि०प०।

आज्ञा से,

रामेश्वर प्रसाद भागं
संयुक्त-सचिव